श्री दुर्गा माता मन्दिर न्यास हाटकोटी, तहसील जुब्बल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.01.2015 से 31.12.2017
भाग –1

1 **(i) प्रारम्भिक**

हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था एवं पूर्व विन्यास अधिनियम 1984 की धारा 23 (2)(C)(ii) के अन्तर्गत वित्तायुक्त एवं सचिव(एल.ए.सी.) हिमाचल प्रदेश सरकार की विज्ञपति संख्याः भाषा (ए) (3)/85-पार्ट–II, दिनांक 17.01.89 के अनुसार हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था एवं पूर्व विनियासों के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत श्री दुर्गा माता मन्दिर न्यास हाटकोटी, तहसील जुब्बल, जिला शिमला, (हि.प्र.) के अवधि 01.01.2015 से 31.12.2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य किया गया तथा गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनिर्णीत पैरो पर की गई कार्यवाही के पश्चात शेष पैरो का विस्तृत विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट –1** पर संलग्न किया गया है।

(ii) अंकेक्षण अवधि के दौरान श्री दुर्गा माता मन्दिर न्यास में निम्नलिखित अधिकारी अध्यक्ष व सचिव के पद पर कार्यरत रहे:-

क्रमांक	अध्यक्ष	कार्यकाल	सचिव	कार्यकाल
1	श्री यशपाल वर्मा	1.1.2015 से 17.10.2016	श्री देवी सिंह कौशल	1.1.2015 से 16.5.2015
2	श्री अनुपम	18.10.16 से 3.4.2017	श्री अनिल कुमार	16.5.2015 से 13.12.2016
3	श्री घन श्याम शर्मा	4.4.2017 से 31.12.2017	श्री कश्मीर सिंह	14.12.2016 से 31.12.2017

(iii) श्री दुर्गा माता मन्दिर न्यास हाटकोटी, तहसील जुब्बल, जिला शिमला, (हि०प्र०) के अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.01.2015 से 31.12.2017 में समाविष्ट मुख्य पैरों का सार:-

क्रमांक	संक्षिप्त विवरण	पैरा संख्या	(₹) लाखो में

1	सावधि निवेश पर अर्जित ब्याज से बैंक द्वारा कटौती किए गए टी.डी.एस. (आयकर) को लम्बी अवधि के बाद भी आयकर विभाग से प्राप्त न करने बारे।	6 (ख)	5.99
2	आय कर विभाग को भुगतान की गई आय कर की राशि की प्रतिपूर्ति न करना	6 (ग)	9.83
3	प्राप्त आय को बैंक में देरी से जमा करना	7 (क)	41.00
4	अनुदान राशि का उपयोग न करना	8	83.96
5	विभिन्न प्रयोजनों हेतु प्रदान किए गए अग्रिम को लम्बी अवधि के बाद भी समायोजित न किए जाने बारे।	9	12.15
6	किराए की बकाया राशि की वसूली न किए जाने बारे।	11 (क)	1.51
7	सराय भवन किराए की कम प्राप्ति करना	12 (क)	2.33
8	सीमेंट खरीद हेतु अधिक भुगतान	20	1.73
9	चैक के स्थान पर विभिन्न फ़र्मों को अनियमित नगद भुगतान	21	12.23
10	औपचारिकताएं पूर्ण किए बिना अनियमित व्यय	23	17.37
11	क्रय किए गए समान की स्टॉक प्रविष्टियां न करना	24	17.89
12	मजदूरी के रूप में अधिक भुगतान	25	0.19
13	गलत गणना के कारण अधिक भुगतान	26-27	0.61
14	Secured advance के रूप में विभिन्न फ़र्मों को अनियमित भुगतान	29	2.50

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

मन्दिर के लेखाओं अवधि 01.01.2015 से 31.12.2017 तक का अंकेक्षण एवं निरीक्षण श्री रविंदर सिंह, अनुभाग अधिकारी (ले.प.) तथा श्री तनुज शर्मा, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 02.04.2018 से 14.5.2018 तक मन्दिर न्यास कार्यालय हाटकोटी में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्न मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

वर्ष	आय	व्यय
2015	11/15	9/15
2016	10/16	8/16
2017	4/17	7/17

"अंकेक्षण प्रतिवेदन को संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, उक्त संस्था द्वारा सूचना उपलब्ध न करवाने अथवा गलत सूचना उपलब्ध करवाने पर पाई गई अनियमितताओं एवं त्रुटियों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।"।

3 अंकेक्षण शुल्क :–

मन्दिर के अवधि 01/2015 से 12/2017 तक के लेखाओं के वर्तमान अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹49600 बनता है। मन्दिर ट्रस्ट को अनुभाग अधिकारी (लेखा परीक्षा) की अधियाचना संख्या आर–79/18 दिनांक 14.5.2018 द्वारा उक्त राशि का भुगतान निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, शिमला –09 को रेखाकिंत बैंक ड्राफट द्वारा भेजने का अनुरोध किया गया ।

4 **(क) वित्तीय स्थिति :-**

श्री दुर्गा माता मन्दिर न्यास हाटकोटी द्वारा प्रस्तुत अवधि 1.1.2015 से 31.12.2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **" परिशिष्ट –क"** पर दिया गया है।

(ख) हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार मंदिर न्यास की जमा राशि के निर्धारित भाग को हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक (सीमित) में न रखा जाना :-

वित्त विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या : वित्त –आई–एफ(ए)–88/83–11, दिनांक 15.09.1993 द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सभी विभाग/संस्थाएं अपनी एकत्रित जमा धन राशि का कम से कम 60% भाग सहकारी बैंक में जमा रखेंगे। अंकेक्षण में मंदिर न्यास के बैंक खातों की पड़ताल करने पर पाया गया कि न्यास की कुल जमा राशि को निम्न बैंक खातों में रखा गया था। दिनांक 31.12.2017 को हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक (सीमित) में कुल ₹15850498 (405115+12929389+2515994) जमा की गई थी। जो कि बैंको में जमा कुल धनराशि ₹44083949 का केवल 35.96% थी। इस प्रकार उपरोक्त पत्र द्वारा जारी वित्त विभाग, हिमाचल प्रदेश के निर्देशों की अनदेखी करके 60% के स्थान पर 35.96% राशि को हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक (सीमित) मे जमा करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। साथ ही भविष्य में हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार ही एकत्रित धन राशि को जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

Balance as per Bank Accounts

Name of Bank	Amount (Rs.)
H.P.state cooperative bank Rohru account no 8090	405115
Uco bank Anti account no 1882	407438
H.P.state cooperative bank Saraswatinagar account no 1302	12929389
H.D.F.C Bank Jubbal account no 8519	60892
P.N.B. Saraswatinagar account no 2207	3755487

S.B.I Saraswatinagar account no 326	1034219
S.B.I Saraswatinagar F.D.R	5756315
S.B.I Saraswatinagar F.D.R	5756315
S.B.I Saraswatinagar F.D.R	7609958
S.B.I Saraswatinagar F.D.R	3852827
H.P.state cooperative bank Saraswatinagar F.D.R	2515994
Total	**44083949**

5 (क) सोना व चाँदी:-

श्री दुर्गा माता मन्दिर न्यास हाटकोटी द्धारा प्रस्तुत सोने व चाँदी अवधि 1.1.2015 से 31.12.2017 की वर्तमान स्थिति अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "ख"** पर संलग्न है मन्दिर न्यास द्धारा उक्त अवधि में कोई भी सोना व चाँदी जारी नहीं किया गया है

(ख) हि० प्र० हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थान एवम विन्यास अधिनियम,1984 की धारा 12-ए(2) के प्रावधानों को लागु न करना :-

हि० प्र० हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थान एवम विन्यास अधिनियम,1984 की धारा 12-A (2)(A)(ii) के प्रावधानानुसार 20% सोना भारतीय स्टेट बैंक की गोल्ड बांड स्कीम में निवेश करना अपेक्षित था परन्तु अंकेक्षण को प्रस्तुत अभिलेख की जाँच से यह विदित हुआ कि इन प्रावधानों को अमल में नहीं लाया गया था जिसके कारण जहाँ न्यास एक्ट के प्रावधानों को लागु करने में विफल रहा है वहीं इन प्रावधानों को लागु करने से होने वाली आय से दो दशक से भी ज्यादा समय से वंचित होना पड़ रहा है जोकि एक गंभीर अनियमितता है जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए उक्त प्रावधानों को अविलम्ब लागू किया जाना सुनिश्चित किया जाये I

(ग) हि० प्र० हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थान एवम विन्यास अधिनियम, 1984 की धारा के प्रावधानों को लागु न करना :-

हि० प्र० हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थान एवम विन्यास अधिनियम, 1984 की धारा 12- ए (2) (B)(iii) के प्रावधानानुसार 60% चांदी को सिक्के में ढाल कर श्रद्धालुओं को वर्तमान मूल्य पर विक्रय किया जाना अपेक्षित था परन्तु अंकेक्षण को प्रस्तुत अभिलेख व् सुचना के अवलोकन से विदित हुआ कि इन प्रावधानों को अमल में नहीं लाया गया था जिसके कारण जहाँ न्यास एक्ट के प्रावधानों को लागु करने में विफल रहा है वहीं इन प्रावधानों को लागु करने से होने वाली आय / लाभों से भी एक दशक से भी ज्यादा

समय से वंचित होना पड़ रहा है जोकि एक गंभीर अनियमितता है जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए उक्त प्रावधानों को अविलम्ब लागू किया जाना सुनिश्चित किया जाये I

6 सावधि जमा निवेश:–

(क) श्री दुर्गा माता मन्दिर न्यास हाटकोटी द्धारा दिनांक 31.12.2017 तक निम्नलिखित राशियाँ सावधि जमा योजना के अन्तर्गत निवेश की गई थी। अत: निवेश की गई राशियो को परिपक्कता तिथि को आहरित करना अथवा पुन: निवेश करना सुनिश्चित किया जाए।

Name of Bank	F.D.R No	Amount invested (Rs)	Date of investment	Rate of Interest	Maturity value(Rs)	Date of maturity
S.B.I Saraswatinagar	34783469096	5756315	12.3.2017	6.4%	6123035	11.3.2018
S.B.I Saraswatinagar	34783465666	5756315	12.3.2017	6.4%	6123035	11.3.2018
S.B.I Saraswatinagar	31074697888	7609958	27.2.2017	6.25%	8184854	26.2.2018
S.B.I Saraswatinagar	30336632185	3852827	27.2.2017	6.25%	4098231	26.2.2018
H.P.state co-op. Bank Saraswatinagar	2214675	2515994	6.3.2017	6.9%	2675898	5.3.2018
Total		**25491409**				

(ख) सावधि निवेश पर अर्जित ब्याज से बैंक द्वारा टी.डी.एस. (आयकर)की कटौती ₹5.99 लाख को लम्बी अवधि के बाद भी आयकर विभाग से प्राप्त न करने बारे:– सावधि निवेश से संबन्धित अभिलेख की पड़ताल करने पर पाया गया कि विभिन्न बैंकों द्वारा सावधि निवेश पर अर्जित ब्याज की राशि पर तय दर से टी.डी.एस.(आयकर) की कटौती की गई थी जो कि दिनांक 31.12.2017 तक **₹599053.00** बनती थी। इस राशि का पूर्ण विवरण निम्न दिया गया हैं।पड़ताल करने पर यह भी ज्ञात हुआ कि इस राशि को दिनांक 31.12.2017 तक आयकर विभाग से प्राप्त नहीं किया गया था और इस राशि को प्राप्त करने हेतु आयकर विभाग से कोई पत्राचार भी नहीं किया गया था। अत: यह प्रकरण विशेष रूप से उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ इस आशय के साथ लाया जाता हैं कि उक्त प्रकरण में विभागीय स्तर पर आवश्यक जाँच की जाए तथा परिणाम को आगामी अंकेक्षण के समय प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर–52/2018 दिनांक 7.4.2018 के प्रतिउत्तर में मंदिर न्यास द्वारा पत्र संख्या D.M.H. 1 दिनांक 5.05.2018 से सूचित किया गया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अनुपालना से अवगत करवाया जायेगा।

Year	Name of Bank	Date of Investment	Amount of Investment	Date of Maturity	Amount received on maturity	Interest Received on F.D. R	T.D.S Deducted by Bank (R.S.)
2015	**S.B.I Saraswatinagar**	16.12.2013	9304125	15.12.2014	10082576	778451	87608

	S. B .I Saraswatinagar	27.2.2014	6136695	26.2.2015	6653729	490034	57469
	S. B .I Saraswatinagar	27.2.2014	3088163	26.2.2015	3346713	258550	28906
2016	**S. B .I Saraswatinagar**	12.3.2015	500000	11.3.2016	5394729	394729	44011
	S. B .I Saraswatinagar	12.3.2015	500000	11.3.2016	5394729	394729	44011
	S. B .I Saraswatinagar	27.2.2015	6653729	26.2.2016	7178887	525158	58693
	S. B .I Saraswatinagar	27.2.2015	3346713	26.2.2016	3610859	267146	29521
	H.P. State co-op. Bank Saraswatinagar	7.3.2015	2174247	6.3.2016	2353110	178863	18878
2017	**S. B .I Saraswatinagar**	12.3.2016	5394729	11.3.2017	5756315	361586	40294
	S. B .I Saraswatinagar	12.3.2016	5394729	11.3.2017	5756315	361586	40294
	S. B .I Saraswatinagar	27.2.2016	7178887	26.2.2017	7609958	431071	103720
	S. B .I Saraswatinagar	27.2.2016	3610859	26.2.2017	3852827	241968	27023
	H.P. State co-op. Bank Saraswatinagar	6.3.2016	2353110	5.3.2017	2515994	162684	18625
						Total	**599053**

(ग) मंदिर न्यास द्वारा ₹9.83 लाख की आयकर राशि को आयकर विभाग से refund claim न करने बारे

अंकेक्षण के दौरान मंदिर न्यास व्यय वाउचर की पड़ताल पर पाया गया कि मंदिर न्यास द्वारा निम्न विवरण अनुसार आय कर विभाग में ₹982630 जमा करवाई गई आय कर नियमो के अनुसार यदि मंदिर की आय पर आय कर जमा करवाया जाता है तो उस स्थिति मे नियमानुसार उक्त राशि को आय कर विभाग से refund claim किया जाता है परंतु मंदिर न्यास द्वारा ₹982630 को आय कर विभाग में जमा करवाया गया परंतु उक्त राशि का refund claim नहीं किया गया जो कि एक गंभीर अनियमितता है। अतः यह प्रकरण विशेष रूप से उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ इस आशय के साथ लाया जाता हैं कि उक्त प्रकरण में विभागीय स्तर पर आवश्यक कार्यवाही करके तदानुसार अंकेक्षण को अवगत किया जाए। इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर-46/2018 6.4.2018 के प्रतिउत्तर में मंदिर न्यास द्वारा पत्र संख्या D.M.H. 2 दिनांक 5.05.2018 से सूचित किया गया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अनुपालना से अवगत करवाया जायेगा।

Voucher no/Date	Cash book page no	Amount paid / to income tax Department (Rs.)	Amount refund by income tax Department	Balance if any (Rs.)	Remarks
387/28.2.2017	128	982630	Nil	982630	Amount deposited vide chalan no 387 on dated 28.2.2017

7 (क) मंदिर न्यास को प्राप्त आय ₹41.00 लाख को देरी से जमा करवाए जाने बारे:-

मंदिर न्यास को प्राप्त आय की जाँच करने पर पाया गया कि मंदिर चढ़ावे व सराय से विभिन्न कार्य दिवसों में प्राप्त आय ₹4099987 को बैंक में देरी से जमा करवाया गया था ऐसी सभी आय का पूर्ण ब्यौरा निम्न दिया गया है । प्राप्त आय को देरी से बैंक में जमा करवाना अनियमित ही नहीं बल्कि गंभीर वित्तीय अनियमितता भी हैं । प्राप्त आय को अनावश्यक रूप से हस्तगत रखने के कारण हस्तगत रखी गई राशि के अल्प अवधि के लिए दुर्विनियोजन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर-62/2018 दिनांक 3.5.2018 के प्रतिउत्तर में मंदिर न्यास द्धारा पत्र संख्या D.M.H. 3 दिनांक 5.05.2018 से सूचित किया गया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अनुपालना से अवगत करवाया जायेगा। अत: भविष्य में प्राप्त आय को प्राप्ति के दिन या अगले कार्य दिवस को बैंक में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

राशि प्राप्त करने की अवधि	राशि जमा करने की तिथि	रसीद सं.	राशि (₹)
18.10.2015 से 1.11.2015	3.11.2015	394 से 441	943677
4.11.2015 से 16.11.2015	17.11.2015	443 से 456	375832
23.9.2016 से 1.10.2016	3.10.2016	271 से 317	362025
8.10.2016 से 17.10.2016	19.10.2016	363 से 384	1144470
24.3.2017 से 14.4.2017	17.4.2017	501 से 616	1250683
1.1.2015 से 13.1.2015	14.1.2015	9534 से 9592	11600
1.2.2015 से 12.2.2015	13.2.2015	9665 से 9748	11700
		Total	**4099987**

(ख) मंदिर न्यास द्वारा प्राप्त आय ₹498533 को बिना बैंक में जमा करवाए सीधे तौर पर खर्च करना:-

मंदिर न्यास को प्राप्त आय की जाँच करने पर पाया गया कि मंदिर चड़ावे व सराय से विभिन्न कार्य दिवसों में प्राप्त आय ₹498533 को बैंक में बिना जमा करवाए

व्यय किया गया जबकि नियमानुसार पहले समस्त आय को बैंक में जमा करवाया जाना अपेक्षित है तत्पश्चात आवश्यकता अनुसार बैंक से आहरण करके व्यय किया जा सकता है ऐसी सभी आय व व्यय का पूर्ण ब्यौरा निम्न दिया गया है इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर-63/2018 दिनांक 3.5.2018 के प्रतिउत्तर में मंदिर न्यास द्धारा पत्र संख्या D.M.H. 3 दिनांक 5.05.2018 द्वारा सूचित किया गया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अनुपालना से अवगत करवाया जायेगा। अत: भविष्य में प्राप्त आय को प्राप्ति के दिन या अगले कार्य दिवस को बैंक में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तत्पश्चात आवश्यकता अनुसार बैंक से आहरण करके व्यय किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

Date of Collection	**Amount Collected**	**Amount of Direct Expenditure**	**Amount Depoisited after Expenditure**	**Date of Depoisite**
4.11.2015 to 16.11.2015	433296	57464	375832	17.11.2015
18.10.2015 to 1.11.2015	1145896	202219	943677	3.11.2015
23.9.2016 to 1.10.2016	403879	41854	362025	3.10.2016
6.5.2017 to 14.5.2017	389895	49387	340508	15.5.2017
24.5.2017 to 1.6.2017	289107	63707	225400	2.6.2017
9.6.2017 to 15.6.2017	390785	83902	306883	16.6.2017
Total		**498533**		

(ग) मंदिर न्यास द्वारा प्राप्त आय ₹2610 को कम जमा करना:-

मंदिर न्यास दान पात्र (शिवालय) से संबन्धित प्राप्त आय से संबन्धित अभिलेख की पड़ताल पर पाया गया कि मंदिर न्यास द्धारा निम्न विवरण अनुसार ₹2610 को बैंक खाते में कम जमा किया गया । अंकेक्षण के दौरान आपति दर्ज करने के उपरांत मंदिर न्यास द्धारा उक्त राशि को रसीद संख्या 1053 दिनांक 24.4.2018 को जमा करवाया गया अत; लेखा परीक्षा द्धारा सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में दान पात्र से प्राप्त आय कि उचित गणना करके मंदिर न्यास निधि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

Date of Collection	**Amount Collected**	**Amount Depoisted**	**Less Depoisted**	**Remarks**
1.8.2016 to 15.8.2016	30311	27701	2610	Rs 2610 depoisted on Dated 24.4.2018 vide Receipt no 1053 during Audit

8 अनुदान:-

अनुदान ₹83.96 लाख का उपयोग न करना:-

अंकेक्षण के दौरान मंदिर न्यास की रोकड़ बही व खाता बहियों जांच में पाया गया कि निंम्न विवरण अनुसार 31.12.2017 को अनुदान **₹8396034** उपयोग हेतु शेष थी।

अनुदान की राशियो का समय पर उपयोग न करने से निर्माण कार्य की लागत में बढ़ोतरी हो जाती है इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर-58/2018 दिनांक 23.4.2018 के प्रतिउत्तर में मंदिर न्यास द्धारा पत्र संख्या D.M.H. 4 दिनांक 5.05.2018 से सूचित किया गया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अनुपालना से अवगत करवाया जायेगा। अत: इन अनुदान राशियों को स्वीकृति पत्र की शर्तों के अनुसार उपयोग करना सुनिश्चित किया जाए किया जाए तथा कृत कार्यवाही से इस विभाग को सूचित किया जाए।

Name of work for which grant received	**Date of Receipt**	**Agency from which Grant received**	**Amount of Grant Receipt**	**Amount of Grant utilized till 31.12.2017**	**Amount of Grant unutilized as on 31.12.2017**
Const of Road from Galu to Sunpuri Orchard	3.12.2015	B.D.O Jubbal	982953	437658	545295
Const/Renewvel of Temple Complex	22.3.2017	Language and art Culture Department	10000000	2149261	7850739
Total					**8396034**

9 अग्रिम ₹12.15 लाख को लम्बी अवधि के बाद भी समायोजित न किए जाने बारे:-

अग्रिम राशियों से संबन्धित अभिलेख की पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्नलिखित राशियों का भुगतान विभिन्न प्रयोजनों हेतु अग्रिम के रूप में विभिन्न व्यक्तियों, फर्मो एवं संविदाकारों को किया गया था। जाँच करने पर यह भी ज्ञात हुआ कि यह अग्रिम राशियाँ लम्बी अवधि से समायोजन के लिए लम्बित थी। विभिन्न प्रयोजनों हेतु प्रदान किए गए अग्रिम राशियों को लम्बी अवधि तक समायोजित न करना एक गंभीर वित्तीय अनियमितता हैं साथ ही इससे अग्रिम राशियों के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। इस संबंध में पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन के **पैरा सं. 14** में भी आपत्ति दर्ज की गई हैं, परंतु इसके बाद भी इन अग्रिम राशियों को समायोजित न करने का कोई विशेष प्रयास नहीं किया गया। इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर-45/2018 दिनांक 6.4.2018 के प्रतिउत्तर में मंदिर न्यास द्धारा पत्र संख्या D.M.H. 5 दिनांक 5.05.2018 द्वारा सूचित किया गया है कि असमायोजित अग्रिम राशि के समायोजन बारे शीघ्र कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। अत: पुन: यह प्रकरण विशेष रूप से उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ इस आशय के साथ लाया जाता हैं कि लम्बी अवधि से समायोजन के लिए शेष अग्रिम राशियों का शीघ्र समायोजन किया जाना

सुनिश्चित किया जाए अन्यथा अग्रिम राशियों की वसूली दण्ड ब्याज सहित वसूल करके मंदिर न्यास निधि में जमा कारवाई जाए व अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

Detail of Unadjusted advances as on 31.12.2017

Sr. no	Voucher no/Date	Cash book page no	To whom Given	Purpose	Amount given	Amount of adjustment	Date of adjustment	Balance if any
1	373/23.1.2014	59	Jai Lal	T.A Expenditure	10410	3400	17.12.2015	7010
2	438/2.11.2011	56	Rasham Bahadur	Labour Work	9264			9264
3	304/26.12.2012	53	Pania Ram	Orchard Work	90000			90000
4	Year 2006	-	Balvan	Sarai bhawan	12000			12000
5	626/2.3.2012	74	Dil Bahadur	Labour Work	10000	5000	17.12.2016	5000
6	5.10.2006	65	Dharminder	For wood work	75000			75000
7	17.3.2007	93	Suresh	For Plumer work	802			802
8	Year1990	-	Sarai Committee	For Sarai Work	8373			8373
9	Year 1980	-	Teshil Committee	For Temple Work	8929			8929
10	149/31.3.2015	76	Hem Kund Kota	For Purchase of Kota Stone	50000			50000
11	468/17.11.2015	51	Sh Ram Tehal	Labor Payment	30000	20000	5.7.2017	10000
12	260/24.10.2016	114	Sh Bhavani Dutt	Stone Cutting	80000			80000
13	328/3.12.2016	121	Sh Bhavani Dutt	Stone Cutting	50000			50000
14	353/3.1.2017	125	Sh Bhavani Dutt	Stone Cutting	24000			24000
15	378/20.2.2017	127	Sh Bhavani Dutt	Stone Cutting	36000			36000
16	48/2.5.2017	10	Sh Ved Prakash	Supply of stones	50000			50000
17	91/3.6.2017	16	Sh Bhavani Dutt	Stone Cutting	78350	59397	20.2.2017& 28.11.2017	18953
18	149/3.7.2017	22	Sh Bhavani Dutt	Stone Cutting	78154			78154
19	165/17.7.2017	23	Sh Bhavani Dutt	Purchase of Roof Slate	200000			200000
20	170/17.7.2017	24	Sh Ved Prakash	Supply of stones	100000			100000
21	205/3.8.2017	27	Sh Rakesh	Purchase of Roof Slate	283500	273500	3.8.2017	10000

22	211/3.8.2017	27	Sh Bhavani Dutt	Stone Cutting	76050			76050
23	236/4.9.2017	33	Sh Bhavani Dutt	Stone Cutting	28450			28450
24	280/16.10.2017	43	Sh Bhavani Dutt	Stone Cutting	30450			30450
25	305/3.11.2017	47	Sh Bhavani Dutt	Stone Cutting	35975			35975
26	333/28.11.2017	50	Sh Ved Prakash	Supply of stones	100000			100000
27	338/8.12.2017	52	Sh Bhavani Dutt	Stone Cutting	20925			20925
Total								**1215335**

10 गल्ले से प्राप्त आय को सत्यापित न करवाने बारे:

गल्ले से प्राप्त आय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि निम्न प्रकरणो मैँ गल्ला खोले जाने पर प्राप्त आय को मन्दिर सचिव/अधिकारी से सत्यापित नहीं करवाया गया था I उक्त सत्यापन के अभाव में प्राप्त आय के सही होने बारे पुष्टि नहीं की जा सकी I इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर-65 /2018 दिनांक 3.5.2018 के प्रतिउत्तर में मंदिर न्यास द्धारा पत्र संख्या D.M.H. 3 दिनांक 5.05.2018 से सूचित किया गया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अनुपालना से अवगत करवाया जायेगा। अत: इस बारे अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से अवगत करवाया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य मे इस प्रकार के मामलो की पुनरावृति न हो।

दान पात्र (मुख्य मंदिर)

दिनांक जिस दिन गला खोला गया	अवधि जिसकी प्राप्त आय कि गणना की गई	गले से प्राप्त आय (₹)
13.2.2015	से 1.2.2015 12.2.2015	72946
1.3.2015	से 13.3.2015 28.3.2015	117632
15.5.2015	से 1.5.2015 14.5.2015	167204
1.6.2015	से 16.5.2015 30.5.2015	181265
15.6.2015	से 1.6.2015 14.6.2015	193762
1.4.2017	से 14.3.2017 31.3.2017	369841

दान पात्र (शिवालय)

दिनांक जिस दिन गला खोला गया	अवधि जिसकी गणना की गई	गले से प्राप्त आय
13.2.2015	से 1.2.2015	10992

1.3.2015	12.2.2015 से 13.3.2015 28.3.2015	30307
15.5.2015	से 1.5.2015 14.5.2015	24980
1.6.2015	से 16.5.2015 30.5.2015	26590
15.6.2015	से 1.6.2015 14.6.2015	29077
1.4.2017	से 14.3.2017 31.3.2017	70982

11 (क) दुकानों के किराए की ₹1.51 लाख की बकाया वसूली हेतु शेषः–

अंकेक्षण को किराए से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना की पड़ताल करने पर यह पाया गया कि विभिन्न किरायेदारों से दिनांक 31.12.2017 तक किराये की ₹151195 वसूली हेतु शेष थी। इन सभी किरायेदारों का पूर्ण विवरण नीचे दर्शाया गया है अत: इन किरायेदारों से शीघ्र अतिशीघ्र किराये की वसूली सुनिश्चित की जाए। तदानुसार अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

Sr. No.	Name of Allotee	Balance of shop Rent as on 31.12.2017
1	Satish Kumar	30635
2	Sourabh tent house	7920
3	Shiv Singh	10560
4	Subhodh	21120
5	Raj Tent House	7320
6	Sandheera	2400
7	Deepak	38400
8	Kanta	2640
9	Ghan Shyam	20600
10	S.B.I A.T.M	9600
Total		**151195**

(ख) दुकानों के किराए के अनुबन्ध का नवीनीकरण न करना:–

किराये पर दी गई दुकानों से संबन्धित विभिन्न अभिलखों का अवलोकन करने पर पाया गया कि दुकानों के साथ मंदिर न्यास द्धारा किरायेदारों से किराये के अनुबन्ध का नवीनीकरण नही किया गया तथा कुछ दुकानों के साथ आबंटन की तिथि से ही अनुबंध

नहीं किया गया है। अतः इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जाए तदानुसार अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

किराएदारों का विवरण जिनका किराया अनुबन्ध दिसम्बर 2017 तक नवीनीकरण नहीं किया गया था।

Sr. No.	Name of Allotee	Date/year of Allotment	Due date of Renevel of Agreement	Remarks
1	Satish Kumar	29.11.2004	28.11.2007	
2	Sourabh Tent house	2009	2009	Agreement was not made from the date of Allotment
3	Shiv Singh	20.12.2001	19.12.2004	
4	Subhodh	20.12.2001	19.12.2004	
5	Raj Tent House	2009	2009	Agreement was not made from the date of Allotment
6	Sandheera	3.10.2001	2.10.2004	
7	Deepak	30.10.2001	29.10.2004	
8	Kanta	6.10.2001	5.10.2004	
9	Anil Kumar	2013	2013	Agreement was not made from the date of Allotment
10	Ghan Shyam	3.10.2001	2.10.2004	

(ग) अनुबंध की शर्तों के अनुसार दूकानदारों से विलंब शुल्क की वसूली न करना:-

मंदिर न्यास द्वारा अपनी दुकाने आबंटित करते समय यह शर्त लगाई गई थी की प्रत्येक दुकानदार द्वारा प्रत्येक माह की 7 तारीख तक किराया जमा करवाना होगा अन्यथा उससे 12ः ब्याज के साथ किराये की वसूली की जाएगी। अभिलेख की जांच मैं पाया गया कि किसी भी किरायेदार द्वारा समय पर किराया जमा नहीं करवाया गया है, परंतु फिर भी न्यास द्वारा कभी भी किसी भी दुकानदार से उक्त वर्णित शर्त के अनुसार विलंब शुल्क तो न हेतु वसूली की ब्याज/मांग की गई न वसूली की गई मांग व प्राप्ति रजिस्टर न होने के कारण ब्याज की गणना अंकेक्षण द्धारा नहीं की जा सकी अत: यह मामला उच्च अधिकारियों के ध्यान में इस आश्य के साथ लाया जाता है कि मंदिर न्यास द्धारा किराये का मांग व एकत्रीकरण रजिस्टर का रख रखाव सुनिश्चित किया जाए व विलंब शुल्क की मांग व वसूली कि गणना करके राशि कि वसूली दुकानदारो से सुनिश्चित की जाए ।

12 (क) सराय भवन हाल के किराये ₹2.33 लाख की कम वसूली करना:-

मंदिर न्यास द्वारा सराय भवन को विभिन्न व्यक्तियों /फ़र्मों को शादी समारोह व अन्य आयोजन हेतु किराए पर दिया जाता है जिस हेतु निम्नलिखित दरो का निर्धारण किया गया है

प्रस्ताव मद संख्या व दिनांक जिस दिन से किराया निर्धारित किया गया	किराए की निर्धारित दरें
9 दिनांक 23.3.2012	धरातल मंजिल10000 –, प्रथम मंजिल10000 -, रिसेप्शन हाल 25000-(हाल बड़ा), किराया पूरी सराय-40000
9 दिनांक 21.3.2015	धरातल मंजिल15000–, प्रथम मंजिल15000 -, रिसेप्शन हाल 25000-(हाल बड़ा), किराया पूरी सराय 50000-

अत: मंदिर सराय भवन से संबन्धित अभिलेख की जांच मे पाया गया कि मंदिर न्यास द्धारा सराय भवन का किराया मंदिर न्यास द्धारा निर्धारित दरों से कम दरों पर वसूला गया है I जिसके परिणामस्वरूप मंदिर न्यास को निम्न विवरण अनुसार ₹**232500** का नुकसान उठाना पड़ा जोकि गंभीर ही नही अपितु आपतिजनक भी है इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर–64/2018 दिनांक 3.5.2018 के प्रतिउत्तर में मंदिर न्यास द्धारा पत्र संख्या D.M.H. 3 दिनांक 5.05.2018 से सूचित किया गया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अनुपालना से अवगत करवाया जायेगा। अत: यह मामला उच्च अधिकारियों के ध्यान में इस आशय के साथ लाया जाता है कि मामले में अपेक्षित कार्यवाही करके इस विभाग को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में किराए की वसूली मंदिर न्यास द्धारा निर्धारित दरो से सुनिश्चित की जाए

क्र .सं.	व्यक्ति का नाम	बूकिंग जो प्रदान की गई	वसूल योग्य राशि	वसूल की गई राशि	कम वसूल की गई राशि
1	श्री बलबीर ठाकुर	-21.2.15दो मंजिल -22.2.2015सम्पूर्ण सराय -23.2.2015सम्पूर्ण सराय	100000	60000	40000
2	श्री कल्याण सिंह रावत	-27.2.2015बड़ा हाल दो छोटे हाल	35000	17500	17500
3	श्री हरी लाल	-6.11.2015धरातल मंजिल व प्रथम मंजिल	30000	15000	15000
4	शिवालिक पब्लिक स्कूल	-9.11.2015रिसेप्शन हाल	25000	15000	10000
5	श्री देवेन्द्र चौहान	-22.11.2015सम्पूर्ण सराय -23.11.2015सम्पूर्ण सराय	100000	50000	50000
6	श्री यश पल चौहान	-25.11.2015सम्पूर्ण सराय -26.11.2015सम्पूर्ण सराय	100000	50000	50000
7	श्री यश पल रुकता	-22.10.2015सम्पूर्ण सराय -23.10.2015सम्पूर्ण सराय	100000	50000	50000
कुल राशि					**232500**

(ख) सराय भवन के किराए की वसूली से संबन्धित दस्तावेज़ प्रस्तुत न करनाः–

मंदिर न्यास द्वारा सराय भवन को विभिन्न व्यक्तियों /फ़र्मों को शादी समारोह व अन्य आयोजन हेतु किराए पर दिया जाता है तथा मंदिर सराय भवन

से संबन्धित अभिलेख की जांच मे पाया गया कि मंदिर न्यास द्वारा सराय भवन के किराए की वसूली तो की जा रही है परंतु निम्न लिखित मामलो में सराय भवन किराए के आवेदन पत्र जिस आधार पर किराया वसूला गया अभिलेख में उपलब्ध नहीं थे जिस कारण सराय भवन किराए से संबन्धित प्राप्त राशि की पड़ताल नहीं की जा सकी इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर– 70/2018 दिनांक 3.5.2018 के प्रतिउत्तर में मंदिर न्यास द्वारा पत्र संख्या D.M.H. 3 दिनांक 5.05.2018 से सूचित किया गया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अनुपालना से अवगत करवाया जायेगा। अत: यह मामला उच्च अधिकारियों के ध्यान में इस आशय के साथ लाया जाता है की मामले में अपेक्षित कार्यवाही करके सराय भवन किराए से संबन्धित आवेदन पत्र आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए ताकि प्राप्त राशि की पड़ताल की जा सके।

प्राप्त राशि जिसके आवेदन पत्र अभिलेख में उपलब्ध नही है का विवरण निम्नलिखित है ।

क्र .सं.	व्यक्ति का नाम	बूकिंग जो प्रदान की गई	दिनांक	वसूल की गई राशि
1	श्री सुरेन्द्र दत शर्मा	सम्पूर्ण सराय	29.1.2015	40000
2	श्री भवानी दत शर्मा	छोटे हाल	8.3.2015	2500
3	श्री प्रकाश तांन्टा	सम्पूर्ण सराय	19.4.2015	50000
4	श्री कुशाल चौहान	सम्पूर्ण सराय	22.4.2015	50000
5	श्री सोहन सिंह	सम्पूर्ण सराय	29.4.2015	50000
6	श्री प्रदीप सूद	धरातल मंजिल	16.4.2017	15000

13 बजट को सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित करवाए बिना ही मंदिर न्यास द्वारा ₹221. 39 लाख का अनियमित व्यय:—

हि0प्र0 हिंदु सार्वजनिक संस्थान एंव विन्यास अधिनियम 1984 की धारा 22 के प्रावधानानुसार मन्दिर न्यास का वार्षिक बजट आयुक्त एवं प्रबन्ध कोष समिति से अनुमोदित करवाना अपेक्षित है, परन्तु इस बारे पड़ताल पर पाया गया कि वाषिक बजट आयुक्त एवं प्रबनध कोष समिति से अनुमोदित नहीं करवाया गया था, जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है इस प्रकार अंकेक्षण अवधि में निम्न विवरण अनुसार ₹22139340 का जिसे गया किया से अनुमोदन के बजट बिना व्यय सक्षमप्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्ति करके नियमित करवाया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य मेँ बजट के अनुमोदनोपरान्त ही व्यय किया जाए इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर– 69/2018 दिनांक 3.5.2018 के प्रतिउत्तर में मंदिर न्यास द्वारा पत्र संख्या D.M.H. 3 दिनांक 5.05.2018 से सूचित किया गया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अनुपालना से अवगत करवाया जायेगा।I

वर्ष	कुल व्यय
2016	8594065
2017	13545275
कुल योग	**22139340**

14 बिजली के (रख रखाव प्रभार) के रूप में ₹0.15 लाख का अनियमित व्ययः–

बिजली बिलों की जांच में पाया गया कि मंदिर न्यास द्वारा निम्न विवरण अनुसार बिजली बिल (रख रखाव प्रभार) के रूप में ₹15000 का भुगतान किया गया जबकि मंदिर न्यास द्वारा बिजली से संबन्धित रख रखाव स्वंय किया जाता है अतः बिजली के रख रखाव पभार के रूप में किया गया भुगतान मंदिर न्यास निधि पर उचित पभार नहीं है अत: लेखा परीक्षा द्वारा सुझाव दिया जाता है कि बिजली बिल (रख रखाव प्रभार) के रूप में भुगतान का मामला बिजली विभाग से उठाया जाए तथा उक्त राशि की वसूली/ समायोजन करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर– 78/2018 दिनांक 7.5.2018 के प्रतिउत्तर में मंदिर न्यास द्वारा पत्र संख्या D.M.H. 11 दिनांक 7.05.2018 से सूचित किया गया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जायेगा।

Meter No	Period for which Maintenance Charges raised in Bills	No. Of Month for which Maintenance Charges raised in each Bills	Rate of Maintenance Charges in Bills	Total Amount of Maintenance Charges raised in Bill
SYSL-1	1.1.2015 to 31.12.2015	10	1500	15000
Total				**15000**

15 विज्ञापन पर ₹0.03 लाख का अनुचित एवं अनुपयोगी व्यय:-

श्री दुर्गा माता मंदिर न्यास के लेखा अवधि 01/2015 से 12/2017 के अंकेक्षण के दौरान विज्ञापनों से संबन्धित अभिलेख की जाँच करने पर यह पाया गया कि मंदिर न्यास द्वारा अवधि 01.01.2015 से 31.12.2017 के दौरान निम्न विवरण अनुसार **₹3000.00** का व्यय विज्ञापन पर अनावश्यक एवं अनुचित व्यय किया गया था। जिसे ठोस कारणों सहित न्यायोचित ठहराया जाए। तथा भविष्य में इस प्रकार के अनुचित एवं अनावश्यक व्यय से परिहार किया जाए।

दिनांक	वाऊचर संख्या	राशि	राशि जिसको प्रदान की गई।	उदेश्य जिस हेतु व्यय किया गया
03.10.2017	267	3000.00	Divya himachal	लंगर भवन के उदघाटन हेतु विज्ञापन
कुल योग		**3000.00**		

16 मंदिर अधिकारी को यात्रा भत्ते के रूप में ₹0.08 लाख का अनियमित भुगतान:-

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा यात्रा भत्ते दावे के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों और प्रचलित नियमानुसार सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को यात्रा भत्ते का भुगतान उसी कार्यालय द्वारा किया जायेगा, जहां से उसके मासिक वेतन का आहरण किया जाता हैं। परन्तु निम्न मामलों में **मंदिर अधिकारी** की मंदिर यात्रा हेतु प्रयोग की गई गाड़ी का किराया मन्दिर न्यास द्वारा किया गया जबकि इनके मासिक वेतन का भुगतान तहसील कार्यालय द्वारा किया जाता था । इस प्रकार हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार उनके गाड़ी किराए का भुगतान यदि देय हो तो भी तहसील कार्यालय द्वारा किया जाना अपेक्षित था । अत: मंदिर न्यास द्वारा मंदिर अधिकारी की यात्रा हेतु किए गए भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा उचित माध्यम से वसूली करके मंदिर न्यास निधि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

Date	Voucher No.	Amount
13.3.2015	280	700
13.3.2015	281	700
13.3.2015	282	700
13.3.2015	283	700
Total		**2800.00**

17 **कर्मचारियों को प्रदान किए जा रहे ब्याज मुक्त ऋण के बारे मे:-**

अभिलेख की जांच में पाया गया कि न्यास द्वारा कर्मचारियो को आवश्यक घरेलू कार्य हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर-49/2018 दिनांक 7.4.2018 के प्रतिउत्तर में मंदिर न्यास द्धारा पत्र संख्या DMH 6 दिनांक 5.04.2018 से सूचित किया गया कि मंदिर न्यास द्धारा अवधि 1/2015 से 12/2017 तक ₹85000 के ऋण प्रदान किए गए जिसमे से ₹5000 वसूली हेतु शेष है मंदिर न्यास द्वारा कर्मचारियो को ऋण प्रदान करने के संदर्भ में कोई नियम नहीं बनाए गए हें तथा न ही इन प्रकरणों में आयुक्त मंदिर की अनुमति प्राप्त की गई जोकि एक गंभीर अनियमितता है जिसके लिए स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके इसे नियमित करवाया जाए व भविष्य में नियम बना कर ही ऋण भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए I

अंकेक्षण अवधि में भुगतान की गई ऋण की राशियों का विवरण निम्नलिखित है -

Date	Name & Designation of	Purpose	Amount of Loan Given	Recovery of Loan made	Balance of Loan

	Employee to whom Loan Given			up to 31.12.2017	if any
2.3.2016	Rakesh Saffai staff	For Demestic Affair	10000	10000	nil
3.12.2015	Bhupinder Saffai staff	For Demestic Affair	30000	30000	nil
3.4.2016	Yashbir Chowkidar	For Demestic Affair	25000	25000	nil
6.6.2017	Yashwant Chowkidar	For Demestic Affair	20000	15000	5000
Total			**85000**	**80000**	**5000**

18 मन्दिर न्यास द्वारा कर्मचारियों व बाहरी संस्थाओ को प्रदान की गई आर्थिक सहायता के संदर्भ में:-

अभिलेख की जांच में पाया गया कि न्यास द्वारा अपने कर्मचारियों व बाहरी संस्थाओ को समय –समय पर आर्थिक सहायता प्रदान की गई है, इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर-48/2018 दिनांक 7.4.2018 के प्रतिउत्तर में मंदिर न्यास द्धारा पत्र संख्या DMH 7 दिनांक 5.05.2018 को सूचित किया गया कि मंदिर न्यास द्धारा अवधि 01/2015 से 31/2017 तक ₹60000 आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की गई जबकि इस प्रकार के आर्थिक सहायता प्रदान बारे नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। जिसके लिए स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके इसे नियमित करवाया जाए I तथा भविष्य में इस संदर्भ में स्पष्ट नियम बना कर ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए I

न्यास द्वारा प्रदान की गई आर्थिक सहायता के रूप में किए गए भुगतानो का विवरण निम्नलिखित है - :

Year	Voucher no & Date	Cash Book Page No	Purpose	Name of employee/ Dependent/ others to whom Economic assistance Given	Amount of Economic assistance
2016	414/1.1.2016	59	On Retirement	Shyama Nand Employee	40000
2016	74/25.4.2016	80	Feed for animals	Cow-Raksha Smiti Rohru	20000
Total					**60000**

19 सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व आदेशों के बिना कर्मचारियों की नियुक्ति करने बारे:-

(क) अभिलेख की जांच में पाया गया कि न्यास द्वारा समय- समय पर कर्मचारियो को मंदिर के कार्य हेतु नियुक्त किया गया, इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर-51/2018 दिनांक 7.4.2018 के प्रतिउत्तर में मंदिर न्यास द्धारा पत्र संख्या DMH-8 दिनांक 5.05.2018 को सूचित किया गया कि मंदिर न्यास द्धारा अवधि 1/2015 से 12/2017 तक निम्न कर्मचारियो को नियुक्त किया गया Himachal Pradesh Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments Act,1984 की धारा 3 के अंतर्गत कर्मचारियो की नियुक्ति हेतु सरकार की अनुमति आवश्यक थी परंतु इस संदर्भ मे केवल मात्र न्यास बैठक में प्रस्ताव पास किया गया तथा तदोपरान्त उनको नियुक्ति प्रदान की गई । अतः इस प्रकार कर्मचारियों को नियुक्ति प्रदान करना एक गंभीर अनियमितता है अत: यह मामला मंदिर आयुक्त के विशेष ध्यान में लाया जाता है कि इस मामले में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाए व कर्मचारियो की नियुक्ति को सक्षम अधिकारी से नियमित करवाया जाए।

अंकेक्षण अवधि में नियुक्त कर्मचारियो का विवरण निम्न प्रकार से है:-

Year	Name of employee appointed	Date of appointment	Resolution no vide appointment given	Remarks
2015	Murki lal Supervisior	1.4.2015	5 of dated 21.3.2015	Employee appointed on Daily Basis for Temporary work of Constraction
2015	Yashwir Chokidar	1.4.2015	5 of dated 21.3.2015	Employee appointed on Daily Basis for Temple work.
2015	Yashwant Chowkidar	1.4.2015	5 of dated 21.3.2015	Employee appointed on Daily Basis for orchard work.
2015	Suresh Chowkidar	1.4.2015	5 of dated 21.3.2015	Employee appointed on Daily Basis for Sarai work.
2015	Sumitra Saffai Staff	1.4.2015	5 of dated 21.3.2015	Employee appointed on Daily Basis for Toilet work.
2015	Kedar Chowkidar	1.4.2015	5 of dated 21.3.2015	Employee appointed on Daily Basis for Park work.

20 सरकारी दर/'दर संविदा' पर सीमेंट का क्रय न करने के कारण ₹1.73 लाख का अधिक व्यय किए जाने बारे:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मंदिर न्यास द्धारा विभागीय स्तर पर मस्ट्रोल के माध्यम से विभिन्न निर्माण कार्यो का निष्पादन किया गया। निर्माण कार्यो के निष्पादन हेतु मंदिर न्यास द्धारा सीमेंट का रियायती सरकारी दर/'दर संविदा' पर क्रय न करके खुले बाज़ार से उच्च दर पर क्रय किया गया जोकि अनुचित ही नहीं अपितु एक गंभीर वित्तीय अनियमितता भी हैं। इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर-47/2018

दिनांक 6.4.2018 के प्रतिउत्तर में मंदिर न्यास द्धारा पत्र संख्या DMH 5 दिनांक 5.5.2018 को सूचित किया गया कि मंदिर न्यास द्धारा अवधि 1/2015 से 12/2017 तक 2336 सीमेंट के बैग खुले बाजार से खरीदे गए यदि सीमेंट सरकारी रियायती दर/संविदा दर पर क्रय किया जाता तो निष्पादित निर्माण कार्यों की लागत कम होती। परिणामस्वरूप अंकेक्षण अवधि के दौरान मंदिर न्यास द्धारा निर्माण कार्यों में सीमेंट की खपत पर निम्नविवरणानुसार ₹183036/- का अधिक व्यय किया गया । अतः मस्ट्रोल के माध्यम से निष्पादित निर्माण कार्यों में सीमेंट पर ₹173336 के अधिक व्यय को न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इसे सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाया जाये अन्यथा इसकी उचित स्त्रोत से वसूली की जाए।

Bill no and Date	**Agency from where cement Purchased**	**No. of bag of cement Purchased**	**Amount paid**	**Rate per bag from open Market**	**Rate of Civil Supply**	**Difference between Open market rate & Civil Supply Rate**	**Excess Expen diture**
1585/23.1.2015	Pankaj hardware Rohru	50	17000	340	264	76	3800
2213/12.2.2015	Pankaj hardware Rohru	30	10200	340	264	76	2280
2191/28.3.2015	Pankaj hardware Rohru	65	22100	340	264	76	4940
2426/15.4.2015	Pankaj hardware Rohru	30	10200	340	264	76	2280
2459/20.4.2015	Pankaj hardware Rohru	150	51000	340	264	76	11400
2511/11.5.2015	Pankaj hardware Rohru	200	69000	345	264	81	16200
2585/2.6.2015	Pankaj hardware Rohru	200	70000	350	264	86	17200
2713/10.7.2015	Pankaj hardware Rohru	200	70000	350	264	86	17200
2752/2.8.2015	Pankaj hardware Rohru	30	10500	350	264	86	2580
2762/5.8.2015	Pankaj hardware Rohru	60	21000	350	264	86	5160

2763/6.8.2015	Pankaj hardware Rohru	200	68000	340	264	86	17200
3024/21.9.2015	Pankaj hardware Rohru	50	17500	350	264	86	4300
925/6.10.2015	Pankaj hardware Rohru	25	8750	350	264	86	2150
3141/30.10.2015	Pankaj hardware Rohru	30	10950	365	264	101	3030
3270/21.1.2016	Pankaj hardware Rohru	25	8750	350	264	86	2150
3409/16.3.2016	Pankaj hardware Rohru	26	9100	350	264	86	2236
3444/3.4.2016	Pankaj hardware Rohru	200	66800	334	279	55	11000
3584/12.5.2016	Pankaj hardware Rohru	200	69400	347	279	68	13600
4011/4.9.2016	Pankaj hardware Rohru	150	54000	360	279	81	12150
4036/19.9.2016	Pankaj hardware Rohru	60	21600	360	279	81	4860
4146/18.10.2016	Pankaj hardware Rohru	50	18000	360	279	81	4050
14562/28.10.2016	Pankaj hardware Rohru	30	11400	380	279	101	3030
15659/7.4.2017	Pankaj hardware Rohru	30	11100	370	307	63	1890
15704/17.4.2017	Pankaj hardware Rohru	20	7600	380	307	73	1460
15748/30.4.2017	Pankaj hardware Rohru	30	11400	380	307	73	2190
15946/4.5.2017	Pankaj hardware Rohru	30	11400	380	307	73	2190
5430/9.5.2017	Pankaj hardware Rohru	30	11400	380	307	73	2190
15791/14.5.2017	Pankaj hardware Rohru	30	11400	380	307	73	2190

5449/25.5.2017	Pankaj hardware Rohru	20	7600	380	307	73	1460
4719/15.6.2017	Pankaj hardware Rohru	55	21100	383	307	76	4180
5860/3.12.2017	Pankaj hardware Rohru	30	11700	390	307	83	2490
Total		**2336**					**17336**

21 विभिन्न कार्यों हेतु ₹12.33 लाख का अनियमित नगद भुगतान बारेः–

हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या Fin (C) A (3) -5/2004 दिनांक 23.8.2011 के अनुसार ₹10000 से अधिक राशि का भुगतान RTGS/NEFT द्धारा संबन्धित व्यक्ति/फ़र्मों को किया जायेगा। अंकेक्षण के दौरान विभिन्न व्ययों वाऊचरों, बैंक पास बुकों और चैक बुकों की Counterfoils की पड़ताल करने पर पाया गया कि नियमाविरूद्ध निम्नविवरणानुसार ₹1223196 के व्यय वाऊचरों/Must roll का भुगतान RTGS/NEFD द्धारा सीधे प्राप्तकर्ता को न करके मंदिर न्यास के कर्मचारियो/ट्रस्टियो को किया गया दर्शाया गया है तथा कुछ मामलो में नगद भुगतान किया गया । जाँच में यह भी पाया गया कि व्यय वाऊचरों पर तो भुगतान बैंक चैक संख्या अंकित करके बैंक चैक द्धारा ही दर्शाया गया था जबकि बैंक पास बुकों और चैक बुकों की Counterfoils के अनुसार बैंक चैक मंदिर न्यास के सदस्यों के नाम जारी किए गए थे, ऐसे सभी भुगतानों का विवरण नीचे दर्शाया गया है । मंदिर न्यास द्धारा नगद भुगतान व मंदिर न्यास के सदस्य को बैंक चैक द्धारा भुगतान करने से भुगतान की गई राशि के दुर्विनियोजन की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता । अत: नियमो की अनदेखी करके भुगतान RTGS/NEFT के स्थान पर नगद करने को न्यायोचित ठहराया जाए। साथ ही इन सभी भुगतानों की सत्यता की पड़ताल विभागीय तौर पर की जानी सुनिश्चित की जाए और अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त भविष्य में सभी भुगतान सीधे प्राप्तकर्ता के नाम जारी बैंक चैक/ RTGS/NEFT से ही किए जाने सुनिश्चित किए जाए। इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर–67/2018 दिनांक 3.5.2018 के प्रतिउत्तर में मंदिर न्यास द्धारा पत्र संख्या DMH 3 दिनांक 5.05.2018 द्धारा सूचित किया गया कि मंदिर न्यास द्धारा भविष्य में मामले में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी ।

Detail of Cash Payment

Vr. No./ Date of Payment	**CB P No.**	**Amount**	**Detail of Payment**	**Remarks**
260/3.8.2015	36	22730	Payment of 25% share of Donation	Cash payment from cash receipt

			to pujari	
261/3.8.2015	36	3872	Payment of 25% share of Donation to pujari	Cash payment from cash receipt
262/3.8.2015	36	85746	Payment of salary to employee	Paid by cheque to Bhawani dut Bhandari and further paid to employee
287/3.8.2015	36	46432	Paid to labour for construction of retaining wall near temple	Paid by cheque to Sh.Bhawani dutt Bhandari and further paid to labour through Must-roll
286/3.8.2015	37	10603	Paid to lab our for Repair of sarai Bhawan	Paid by cheque to Sh.Bhawani dutt Bhandari and further paid to labour through Must-roll
286/3.8.2015	37	47430	Paid to labour for Development Of Apple Orchard.	Paid by cheque to Sh.Bhawani dutt Bhandari and further paid to labour through Must-roll
304/3.8.2015	38	27498	Payment of donation to pujari	Cash payment from cash receipt
305/3.8.2015	38	3912	Payment of donation to pujari	Cash payment from cash receipt
292/30.8.2015	40	33885	Paid to driver for Carriage of kota Stone	Paid by cheque to Sh.Bhawani dut Bhandari and further paid to Driver
293/30.8.2015	40	93825	Paid to hemkund Store kota for purchase of kota stone for const. of Langer Bhawan .	Paid by cheque to Sh. Bhawani dutt Bhandari and further paid to Firm
293/30.8.2015	40	209513	Paid to Labour for const. of Langer Bhawan .	Paid by cheque To Sh.Bhawani dut Bhandari and further paid to Firm
165/2.8.2016	99	94265	Payment of salary to employee	Paid by cheque to Sh. Bhawani dutt Bhandari and further paid to employee
189 to 194 of 2 .8.2016	100	94400	Payment of salary to Daily wager employee	Cash withdrawl from Bank and Paid to Employee
195 of 2.8.2016	199	71040	Payment of Must-roll to Plumer and Labour for Repair of Sarai Bhawan	Paid by cheque To Sh.Bhawani dutt Bhandari and further paid to Workers.
196 of 2.8.2016	100	9893	Payment of 25% share of Donation to pujari	Cash payment from cash receipt
197of 2.8.2016	100	55738	Payment of 25% share of Donation to pujari	Cash payment from cash receipt
199 of 16.8.2016	100	6925	Payment of 25% share of Donation to pujari	Cash payment from cash receipt
200 of 16.8.2016	100	34089	Payment of 25% share of Donation to pujari	Cash payment from cash receipt

124 of 3.7.2017	21	106310	Payment of salary to employee	Paid by cheque to Sh. Bhawani dut Bhandari and further paid to employee
125 of 3.8.2017	21	9986	Payment of 25% share of Donation to pujari	Cash payment from cash receipt
126 of 3.8.2016	21	68234	Payment of 25% share of Donation to pujari	Cash payment from cash receipt
145 of 3.7.2017	21	23520	Paid to Labour for const. of Langer Bhawan .	Paid by cheque To Bhawani dutt Bhandari and further paid to Firm
148 of 3.7.2017	21	15226	Paid to Labour for const. of Langer Bhawan .	Paid by cheque To Bhawani dutt Bhandari and further paid to Firm
147 of 3.7.2017	22	48080	Paid to Labour for Renovation of Temple Complex	Paid by cheque To Bhawani dutt Bhandari and further paid to Firm
Total		**1223152**		

22 निर्माण कार्य हेतु क्रय किए गए ₹0.12 लाख की निर्माण सामग्री की खपत न करना-:

अंकेक्षण के दौरान निर्माण कार्य से संबन्धित व्यय वाउचर व माप पुस्तिका की पड़ताल पर पाया गया कि माप पुस्तिका संख्या 22 पृष्ट 5 व माप पुस्तिका संख्या 16 पृष्ट 99 के अनुसार 3154.94 वर्ग मी० पर birla putty का निष्पादन किया गया तय मानको के अनुसार 3154.94 वर्ग मी० पर birla putty हेतु 946.48 किलो ग्राम (3154.94 m2 /10 x 3kg per 10 m2 =946.48 kg) birla putty की खपत की जानी अपेक्षित थी परंतु मंदिर न्यास द्धारा **परिशिष्ट "ग"** में दिये गए विवरणानुसार निर्माण कार्य हेतु क्रय की गई ₹1600 कि0ग्रा0 putty में से शेष बची 653.52 कि0ग्रा0 putty जिसकी कीमत ₹12090 थी को न तो निर्माण कार्य हेतु खपत की गई न ही सामान को स्टॉक रजिस्टर में शेष दर्शाया गया जिससे उक्त सामान के दुरुपयोग की संभावना से इंकार नही किया जा सकता है। अतः शेष बची 653.52 कि0ग्रा0 Print putty जिसका मूल्य ₹12090 था, को निर्माण कार्य हेतु खपत न करने व सामान को स्टॉक रजिस्टर में शेष न दर्शाये जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा ₹12090 की वसूली उचित माध्यम से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

23 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹17.37 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करनाः–

हिमाचल प्रदेश वित नियम 2009 के 98 के अनुसार ₹3000 से अधिक मूल्य के स्टॉक/स्टोर का क्रय करने हेतु निविदाएँ आमंत्रित की जानी अपेक्षित थी परंतु मंदिर न्यास द्धारा निम्नविवरणानुसार ₹1736618 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं जैसे कि Tender/Quotation आमन्त्रित किए बिना किया गया जोकि, उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: स्टोर /स्टॉक के

क्रय को नियमानुसार न करने के कारणो को स्पष्ट करते हुए इसे सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में स्टोर/स्टॉक का क्रय नियमानुसार ही सुनिश्चित किया जाए । इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर-71/2018 दिनांक 3.5.2018 के प्रतिउत्तर में मंदिर न्यास द्वारा पत्र संख्या DMH 3 दिनांक 5.05.2018 द्वारा सूचित किया गया कि मंदिर न्यास द्वारा भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

Vr. No	**Cash Book Page No.**	**Amount of Expenditure**	**Detail of Payment**
265 of 13.9.2015	36	68000	Purchase of 200 bag cement
267 of 3.9.2015	36	19500	Payment of Carriage of Marble and tiles from Chandigarh to Hatkoti
274 of 3.9.2015	36	16320	Purchase of Building Material for Const of langer bhawan
279 of 3.9.2015	36	21500	Purchase of 60 bag cement for Const of langer bhawan
293 of 30.9.2015	40	73825	Purchase of 4136 Sqm Kota stone
296 of 30.9.2015	40	190500	Purchase of 30 no water tank for Const of langer bhawan
295 of 30.9.2015	40	26900	Purchase of Building Material for Repair of Sarai Bhawan
295 of 30.9.2015	40	26900	Purchase of 50 bag Cement for Repair of Sarai Bhawan
178 of 2.8.2016	99	81400	Purchase of Steel For Renovation of Temple Complex
132of 3.7.2017	21	21140	Purchase of 55 bag Cement for Const. of Langer Bhawan
154 of 17.7.2017	23	516683	Purchase of Kitchen Items for Langer Bhawan
154 of 17.7.2017	23	197182	Purchase of Plates and Glasses for Langer Bhawan
164 of 17.7.2017	23	476768	Purchase of Shoes racks, Benches etc for Langer Bhawan.
Total		**1736618**	

24 **₹17.89 लाख की क्रय निर्माण व अन्य सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करनाः–**

अंकेक्षण में विभिन्न क्रय की गई सामग्री की जाँच करने में पाया गया कि मंदिर न्यास द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान क्रय की गई ₹1788633 की विभिन्न मदों, जिनका विवरण नीचे दर्शाया गया है”, को क्रय करने के उपरांत भण्डार

पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया था, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

Vr. No	**Cash Book Page No.**	**Amount of Expenditure**	**Detail of Payment**
274 of 3.9.2015	36	16320	Purchase of Building Material for Const of langer Bhawan
293 of 30.9.2015	40	73825	Purchase of 4136 Sqm Kota stone
296 of 30.9.2015	40	190500	Purchase of 30 no water tank
295 of 30.9.2015	40	26900	Purchase of Building Material for Repair of Sarai Bhawan
295 of 30.9.2015	40	26900	Purchase of 50 bag Cement for Repair of Sarai Bhawan
297 of 30.9.2015	40	162750	Purchase of 2.06m3 Wood for Const. of Mandir Parisar
178 of 2.8.2016	99	81400	Purchase of Steel For Renovation of Temple Complex
183 of 2.8.2016	99	19405	Purchase of Pastisides for Apple Orchard
154 of 17.7.2017	23	516683	Purchase of Kitchen Items for Langer Bhawan
154 of 17.7.2017	23	197182	Purchase of Plates and Glasses for Langer Bhawan
164 of 17.7.2017	23	476768	Purchase of Shoes racks , Benches etc for Langer Bhawan.
		1788633	

25. मजदूरी के रूप मे ₹0.19 लाख का अधिक भुगतान बारे-:

अंकेक्षण के दौरान विभिन्न Must Roll Payments की जाँच करने पर पाया गया कि मंदिर न्यास हिमाचल प्रदेश सरकार द्धारा निर्धारित दरो से अधिक दरो पर मजदूरी का भुगतान किया गया जिसके कारण **परिशिष्ट "घ"** में दिए विवरणानुसार मजदूरी के रूप में अधिक भुगतान किया गया जिसे न्यायोचित ठहराया जाए, अन्यथा भुगतान की गई अधिक राशि की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए। इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर-72/2018 दिनांक 3.5.2018 के प्रतिउत्तर में मंदिर न्यास द्धारा पत्र संख्या DMH 3 दिनांक 5.05.2018 द्वारा सूचित किया गया कि अधिक भुगतान की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाएगी व अत: भविष्य में सभी भुगतान हिमाचल प्रदेश सरकार द्धारा निर्धारित दरो पर किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

26. MS Sheet की खरीद में ₹0.10 लाख का अधिक भुगतान :–

वाऊचर सं. 108 दिनांक 16.6.2017 द्वारा ₹514350.00 का भुगतान **Lattice kraft Industry** सोलन को उनके बिल सं. Lki/HP/16-17/007 दिनांक 25.5.2017 की एवज में MS Sheet with Polycarbonate sheet with Fitting 2100 sqft हेतु किया गया परन्तु उक्त शीट से संबन्धित वाउचर की पड़ताल में पाया गया कि मंदिर न्यास द्धारा दिए गए supply order/ quotation के अनुसार ₹504053 का भुगतान किया जाना अपेक्षित था अतः इस प्रकार फर्म को ₹10287 का अधिक भुगतान किया गया अंकेक्षण के दौरान आपति दर्ज करने के पश्चात 10287 की वसूली **Lattice kraft Industry** सोलन से रसीद संख्या 1054 दिनांक 24.4.2018 की गई। भविष्य में वाउचर कि सही गणना/supply order के अनुसार ही भुगतान सुनिश्चित किया जाए

27 Exhaust Fan की खरीद में ₹0.51 लाख का अधिक भुगतानः–

वाऊचर सं. 153 दिनांक 17.7.2017 ₹56571.00 की जाँच में पाया गया कि **Rise –Tech Engineer Ambala** को उनके बिल सं. 498 दिनांक 28.6.2017 की एवज में Exhauist fan 24 इंच की खरीद हेतु ₹56571 का भुगतान किया गया जबकि exhauist fan 24 इंच के बिल अनुसार ₹5657 का भुगतान किया जाना अपेक्षित था। अतः इस प्रकार मन्दिर न्यास द्वारा निम्न विवरण अनुसार ₹50914 का अधिक भुगतान किया गया जिसके लिए स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा ₹50914 की वसूली सम्बन्धित से करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

Voucher no/Date	Detail of Item as per supply order/quotation	Amount Due	Amount Paid	Excess paid
153/ 17.7.2017	Exhauist fan 24 inch 1 No @ 5000 +Vat 13.13%	5657	56571	50914

28 मुख्य आयुक्त की अनुमति के बिना ₹2.87 करोड़ के निर्माण कार्य करवानाः–

अंकेक्षण के दौरान विभिन्न निर्माण कार्यों की पड़ताल पर पाया गया कि मंदिर न्यास द्धारा मुख्य मंदिर आयुक्त की अनुमति के बिना निर्माण कार्य का निष्पादन किया जा रहा है जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या फिन (एल0 ए0) सी (15) (14) 88/84 खण्ड–2 4998-5085 दिनांक 17.9.2008 के अनुसार मंदिर न्यास द्धारा ₹50000/- से अधिक के निर्माण कार्य हेतु मंदिर मुख्य आयुक्त (मंदिर) की अनुमति आवश्यक थी इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर–57/2018 दिनांक 23.4.2018 के प्रतिउत्तर में मंदिर न्यास द्धारा पत्र संख्या DMH 10 दिनांक 5.05.2018 को सूचित किया

गया कि मंदिर न्यास द्वारा अवधि 1/2015 से 12/2017 तक जो निर्माण कार्य किए गए जिसका विवरण नीचे दर्शाया गया है उन निर्माण कार्य हेतु मंदिर मुख्य आयुक्त की अनुमति नहीं ली गई जोकि एक गंभीर अनियमितता है I अत: बिना मंदिर आयुक्त की अनुमति के ₹28787911 के निर्माण कार्य के निष्पादन का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस संदर्भ में सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए

Name of Work	Amount Of Expenditure up to 31.12.2017
Const. of Langar Bhawan	21402817
Renovation Of Temple Complex	3672213
Const. of Sonpuri Road	437658
Const .of Bypass road Rohru	1310968
Const .of Boundary Wall	56832
Repair of Sarai Bhawan	1907423
Total	**28787911**

29 नियमों की अवहेलना करके विभिन्न व्यक्तियों/ फ़र्मों को ₹2.50 लाख का अग्रिम प्रदान करके अनुचित लाभ देने बारेः–

CPWD Works Manual 2003 के नियम 31.3.2 के अनुसार ” The Divisional Officers can sanction the Secured Advance up to an amount not exceeding 75% of the value of the materials as assessed by the Engineer-in-Charge or an amount not exceeding 75% of the material element cost in the tendered rate of the finished item of work whichever is lower”. इस नियम के अनुसार संविदाकार/ठेकेदार को निर्माण सामग्री की लागत का 75% Secured Advance के रूप में प्रदान किया जा सकता हैं। Material Value की सत्यता हेतु Material की खरीद का बिल इत्यादि मूल रूप में अभिलेख में उपलब्ध होना चाहिए। परंतु मंदिर न्यास द्वारा नियमो की अवेहलना करके विभिन्न निर्माण कार्य हेतु अग्रिम राशियो का भुगतान किया गया। इन निर्माण कार्यो की वर्तमान अवधि तक निर्माण कार्य की माप पुस्तिका मे भी प्रविष्टि नही की गई जोकि एक गंभीर अनियमितता है ऐसे निर्माण कार्यों का विवरण नीचे दर्शाया गया है। अत: उपरोक्त नियम की अनदेखी करके ₹250000 का **Advance** संविदाकार को प्रदान करने और प्रदान किए गए अग्रिम का लेखांकन संबन्धित माप पुस्तिका में न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए । साथ ही भविष्य में संविदाकार को CPWD Works Manual 2003 के नियम 31.3.2 के अनुसार ही अग्रिम दिया जाना सुनिश्चित किया जाए व इस सन्दर्भ में अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

Name of	Name of Firm	Name of	Voucher	Amount	Remarks

work for which Advance Given	to whom Advance Given	item for Advance given	no/date	Of advance given	
For Renovation of temple complex	Sh. Ved Parkash	For stone Purchase	48/2.5.2017	50000	Amount of advance adjusted after submission of Bills but work not entered in M...B.
For Renovation of temple complex	Sh. Ved Parkash	For stone Purchase	170/17.7.2017	100000	Amount of advance adjusted after submission of Bills but work not entered in M..B.
For Renovation of temple complex	Sh. Ved Parkash	For stone Purchase	333/28.11.2017	100000	Amount of advance adjusted after submission of Bills but work not entered in M..B.
Total				250000	

30 **₹0.25 लाख के सीमेंट का बिना आवश्यकता के क्रय करना:-**

अंकेक्षण के दौरान सीमेंट स्टॉक रजिस्टर की पड़ताल पर पाया गया कि मंदिर न्यास द्धारा अवधि 1.1.2015 से 31.12.2017 तक 2336 बैग सीमेंट का क्रय किया गया जबकि सीमेंट कि खपत 2271 बैग की गई जिससे यह प्रतीत होता है कि मंदिर न्यास द्धारा बिना आवश्यकता के निम्न विवरनानुसार ₹25105 मूल्य का सीमेंट क्रय किया गया जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा खरीदे गए सीमेंट की खपत नियमानुसार सुनिश्चित की जाए तदानुसार अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

Voucher no & date	No.of cement bag Purchase	Rate per bag	Amount paid	Agency from where cement purchased
4719/15.6.2017	35	383	13405	Pankaj Hardware Rohru
5860/3.12.2017	30	390	11700	Pankaj Hardware Rohru
Total			**25105**	

31 **रसीद पुस्तकों के स्टॉक रजिस्टर का रख–रखाव न करना:-**

अभिलेख की जांच मे पाया गया की मंदिर न्यास द्वारा प्रयोग में लाई जा रही रसीद पुस्तकों के संदर्भ में कोई स्टॉक रजिस्टर नही लगाया गया है

जिसके अभाव में यह पता नही लगाया जा सका कि न्यास द्वारा कितनी रसीद पुस्तके छपवाई गई, रसीद पुस्तकें किस क्रमांक की थी, कितनी रसीद पुस्तकें शेष थी । मन्दिर आय की प्राप्ति का मुख्य रिकॉर्ड प्रायः रसीद पुस्तकों में रखा जाता है तथा उनका स्टॉक रजिस्टर तैयार न करना एक गंभीर चूक है इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर- 68/2018 दिनांक 3.5.2018 के प्रतिउत्तर में मंदिर न्यास द्धारा पत्र संख्या D.M.H. 3 दिनांक 5.05.2018 द्वारा सूचित किया गया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अनुपालना से अवगत करवाया जायेगा इस संदर्भ में संस्था स्तर पर आंतरिक जांच करके व किसी प्रकार के दुरुपयोग को नकारते हुए निम्न वर्णित performa पर रसीद पुस्तकों का स्टॉक रजिस्टर तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

1	Date of receipt of receipt Books	2	No of receipt Book received	3	Sr No of the receipt Books	4	No of forms in the Reciept Book reffered to in Col.No.3
5	Signature of the Custodian of Reciept Book	6	Signature of the officer attesting the entry mode in the Stock Register	7	Dated of issue of Receipt Books for use	8	Sr No of the Receipt Book issued for use
9	Signature of the official to whom issued	10	Date of return of the receipt books after used	11	Period during which the receipt book has been used	12	Remarks

32 कर्मचारियों के सेवा नियमों का न बनाया जाना:-

अभिलेख की जांच में पाया गया कि मंदिर न्यास में कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में कोई भी सेवा नियम नहीं बनाए गए हें, किसी भी कर्मचारी की न तो कोई सेवा पंजिका तैयार की गई है, और न ही वेतनमान अधिसूचित किए गए है I इसके अतिरिक्त कर्मचारियों को सेवा निवृति पर मिलने वाले कोई लाभ भी अधिसूचित नहीं किए गए है न ही कर्मचारियो की सेवा निवृति आयु अधिसूचित की गई है I मंदिर न्यास द्धारा दिनांक 16.6.2006 को सम्पन्न हुई बैठक में पारित प्रस्ताव संख्या 2 में कर्मचारियो के सेवा नियम बनाने की अनुशंसा की थी परंतु 12 वर्ष बीत जाने के पश्चात भी कोई कार्यवाही अमल में नही लाई गई जो की एक चिंतनीय विषय है; अत: यह मामला उच्च अधिकारियों के ध्यान में इस आशय

के साथ लाया जाता है कि मामले में अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

33. चल-अचल संपति का रख-रखाव न किया जाना :

Himachal Pradesh Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments Act,1984 की धारा **6(1)(डी)** के अंतर्गत न्यास द्वारा अधिग्रहित समस्त मंदिरों के संबंध में अधिग्रहण के समय तथा अधिग्रहण के बाद अधिग्रहित मंदिर की चल संपति जैसा की सोना,चाँदी, मूर्तियों,आभूषण, महंगे स्टोन (पत्थर)एवं नगीने, बर्तन तथा दूसरी चल सम्पत्ति का पूर्ण विवरण वजन एवं मूल्यांकन सहित बनाया जाना अपेक्षित था।

उपरोक्त के अतिरिक्त इस अधिनियम की **धारा 6(1)(ई)** के अंतर्गत अधिग्रहित मंदिर की अचल संपति का पूर्ण ब्यौरा भी अचल संपति रजिस्टर में लेखांकित किया जाना अपेक्षित था। मंदिर न्यास द्वारा अधिगृहीत मंदिरो की अचल संपति का ब्यौरा लेखांकित नहीं किया गया था। अत: मंदिर न्यास द्वारा धारा 6(1)(डी)(ई) के अंतर्गत चल-अचल संपति का पूर्ण ब्यौरा लेखांकित न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। तथा आवश्यक ब्यौरा अतिशीघ्र तैयार किया जाए, इस पूर्ण ब्यौरे को आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

34 अभिलेखो का अनुरक्षण न करना:-

अंकेक्षण का दौरान पाया गया कि मंदिर न्यास द्धारा निम्नलिखित अभिलेखो का अनुरक्षण नही किया जा रहा है जोकि एक गंभीर अनियमितता है अत: मंदिर न्यास इन अभिलेखो का अनुरक्षण सुनिश्चित करे तथा मामले में अपेक्षित कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

1 M.A.S. Ragister (Work Wise)
2 Attendence Register of Employee.
3 Rashan stock Register.
4 Leave Register.
5 Investment (F.D.R) Register
6 Rent Demand & Collection Register
7 Advance Register

35 हिमाचल प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 02.08.2008 को लिए गए निर्णयों को लागू न करने बारे:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि हिमाचल प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में मंदिर प्रबन्धक व्यवस्था बारें दिनांक 02.08.2008 को लिए गए निम्न निर्णयों को श्री दुर्गा मन्दिर न्यास, हाटकोटी में लागू नहीं किया गया था :-

1. मंदिरों की Balance Sheet Statement Chartered Accountant से तैयार करवाई जा रही हैं परंतु मंदिरों की संपति, देनदारियों इत्यादि का पूर्ण विवरण इस Balance Sheet Statement के साथ उपलब्ध नहीं था।
2. मंदिरों की Assests की वार्षिक प्रत्यक्ष सत्यापन (Annual Physical Verification) आयुक्त मंदिर द्वारा नहीं करवाई गई थी।

उपरोक्त आपत्तियों के संबंध में कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है। अत: पुन: यह मामला उच्च अधिकारियों के समक्ष इस आशय से लाया जाता हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों को शीघ्र अतिशीघ्र लागू किया जाए। साथ ही उपरोक्त आपत्तियों के संबंध में ठोस कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

36 स्टॉक एवं स्टोर अभिलेखों का उचित रख–रखाव न करनाः–

स्टॉक एवं स्टोर से संबन्धित अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि संबन्धित अभिलेखों का नियमानुसार रखरखाव नहीं किया गया था। अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान क्रय किए गए विभिन्न सामान की प्रविष्टि स्टॉक एवं स्टोर पंजिका में लेखांकित नहीं की गई थी। तथा स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्ट किए गए सामान की प्रविष्टियों को सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था। अत: यह मामला उच्च अधिकारियों के समक्ष इस आशय से लाया जाता हैं कि नियमानुसार स्टॉक एवं स्टोर का लेखा बनवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

37 **लघु आपत्ति विवरणिका :-** यह अलग से जारी नहीं की गई हैं। लघु आपत्तियों का निपटारा अंकेक्षण के दौरान ही कर लिया गया हैं।

38 **निष्कर्ष :-** लेखों में सुधार की अति आवश्यकता हैं। गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों के निपटारे हेतु शीघ्र आवश्यक कदम उठाए जाए।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–09
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)सी(15)(14)190/96–खण्ड–3–6679–6681 दिनांकः15.10.18शिमला–09
प्रतिलपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

पंजीकृत 1. मन्दिर अधिकारी, श्री दुर्गा माता मन्दिर न्यास हाटकोटी, तह0 जुब्बल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण

प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करवाकर सटिप्पण उतर एक माह के भीतर इस विभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

2. अतिरिक्त मुख्य सचिव (भाषा एवं संस्कृति विभाग) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–2

3. निदेशक, भाषा एवं संस्कृति विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–09

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–09
फोन नं0 0177–2620881

72	पैरा 36 (ख)	अनिर्णीत	
73	पैरा 36 (ग)	निर्णीत	आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
74	पैरा 36 (घ)	अनिर्णीत	
75	पैरा 37	अनिर्णीत	
76	पैरा 38 (क)	अनिर्णीत	
77	पैरा 38 (ख)	अनिर्णीत	
78	पैरा 38 (ग)	अनिर्णीत	
79	पैरा 39	अनिर्णीत	
80	पैरा 40	निर्णीत	आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
81	पैरा 41	निर्णीत	आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
82	पैरा 42 (क)	निर्णीत	आवश्यक कार्यवही पश्चात
83	पैरा 42 (ख)	निर्णीत	(₹1000 की वसूली रसीद संख्या 1121 दिनांक 14.5.2018 को करने के पश्चात)
84	पैरा 42 (ग)	निर्णीत	वर्तमान स्थिति अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित पश्चात
85	पैरा 42 (घ)	निर्णीत	वर्तमान स्थिति अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित पश्चात

अनिर्णीत पैरों का विवरण

	दिनांक 1.1.15 को अनिर्णीत पैरों का प्रारम्भिक शेष	135
(+)	वर्तमान अंकेक्षण के दौरान लगाए गए पैरे	34
(–)	वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निर्णीत किए गए पैरे	63
	दिनाँक 31.12.17 को अनिर्णीत पैरों का अन्तशेष	106